संख्या-921/2017/2444/22-2-2017-17(61)/2004

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर, 2017**

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी डा0 सियाराम पुत्र श्री जयराम, निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-33899/प्रोबेशन-3(एम 14.09.2017) दिनांक 18.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 18.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी डा0 सियाराम पुत्र श्री जयराम, निवासी ग्राम-शंकरपुर सरांय, थाना-गंगाघाट, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 02-07-1979 को समय लगभग 02:30 बजे अपने मामा सुक्खा द्वारा मामी की पिटाई करने पर बन्दूक से गोली मारकर मामा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-491/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 27-01-1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-08-2002 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.08.2017 तक 15 वर्ष 00 माह 06 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 10 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-उन्नाव ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 02-07-1979 को अपने मामा सुक्खा द्वारा मामी की पिटाई करने पर बन्दूक से गोली मारकर मामा की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी डा0 सियाराम पुत्र श्री जयराम, निवासी जनपद-उन्नाव को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी डा0 सियाराम (बन्दी संख्या-16175) पुत्र श्री जयराम, निवासी जनपद-उन्नाव के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-921/2017/2444(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-उन्नाव।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-921/2017/2444/22-2-2017-17(61)/2004

दिनांक 30 नवम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सियाराम (बन्दी संख्या-16175) पुत्र श्री जयराम, निवासी ग्राम-शंकरपुर सरांय, थाना-गंगाघाट, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 02-07-1979 को समय लगभग 02:30 बजे अपने मामा सुक्खा द्वारा मामी की पिटाई करने पर बन्दूक से गोली मारकर मामा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-491/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 27-01-1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-08-2002 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.08.2017 तक 15 वर्ष 00 माह 06 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 10 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-उन्नाव ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 02-07-1979 को अपने मामा सुक्खा द्वारा मामी की पिटाई करने पर बन्दूक से गोली मारकर मामा की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी डा0 सियाराम पुत्र श्री जयराम, निवासी जनपद-उन्नाव को फार्म-ए/ लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।